न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी सिह, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 108/2014 (अपील)

उनवान

1. प्रभूलाल आत्मज श्री जेल्या उर्फ जयलाल मृतक जरिये कायम मुकामान

1/1. भैरूलाल पुत्र स्व0 प्रभूलाल
1/2. द्वारकीलाल पुत्र स्व0 प्रभूलाल
1/3 मेघराज पुत्र श्री स्व0 प्रभूलाल
1/4. बृजमोहन पुत्र स्व0 प्रभूलाल
1/5. जानाबाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल
1/6 भूलीबाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल जाति किराड निवासीगण ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा

2.. रत्या उर्फ छीतरलाल पुत्र श्री जेल्या उर्फ जयलाल आयु 75 वर्ष जाति किराड निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1 .श्रीमति कंचनबाई पुत्री श्री बद्रीलाल पत्नी श्री छप्पनलाल जाति किराड निवासी ग्राम गोपालपुरा (दूहनी) तहसील बांरा हाल निवासी ग्राम कोयला तहसील बांरा जिला बांरा

2 .श्रीमति भूलीबाई पुत्री श्री बद्रीलाल पत्नी श्री छप्पनलाल जाति किराड निवासी ग्राम गोपालपुरा (दूहनी) तहसील बांरा

3 .श्रीमति प्रेमबाई पुत्री श्री बद्रीलाल पत्नी श्री प्रभूलाल जाति किराड निवासी ग्राम गोपालपुरा (दूहनी) तहसील बांरा हाल निवासी ग्राम गोरधनपुरा (नयापुरा) तहसील अटरू जिला बारा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री भारतसिंह अडसेला (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी आदेश कमांक राज/1/2020/516 दिनांक 18.12.2010 न्यायालय तहसीलदार सांगोद

निर्णय दिनांक : 26.07.2024

अति. जिला कलक्टर
कोटा

. 1 अपीलाण्ट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगोद के द्वारा आदेश दिनांक 18.12.2010 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत पेश की गई संक्षेप में प्रकरण तथ्य इस प्रकार है कि जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

.2 अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

.3 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

. 4 विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने माल ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सांगोद की आराजी ख0न0 217 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै0 मु0 बारिंग ख0न0 243 रकबा 0.80 है0 ख0न0 244 रकबा 1.20 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 2.01 हैक्टर आराजी के बाबत हुक्म जैर अपील पारित कर अपीलाण्ट्स तथा रेस्पोडेन्ट्स व मृत सहखातेदारा स्वगीय बद्रीबाई के नाम पृथक पृथक खाते कायम किये जाने व लगानराज भी पृथक पृथक अंकित किये जाने के आदेश फरमाने में त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलाण्ट को सूचना दिये व सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया। ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील सॉगोद की आराजी ख0न0 54 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा व ख0न0 136 रकबा 12 बिस्वा ख0न0 141 रकबा 19 बिस्वा ख0न0 143 रकबा 15 बिस्वा ख0न0 159 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 5 की कुल 15 बीघा 16 बिस्वा आराजी का बटंवारा करवाने के लिए रेस्पोडेन्ट न01.2.3.व उनकी माता स्व बद्रीबाई ने अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एक वादपत्र बउनवानी बद्रीबाई कंचनबाई वगै0 बनाम प्रभूलाल वर्गे0 मि0न0 72/99 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद में पेश किया हुआ है। जिसमें अपीलाण्ट्स की ओर से भी घोषणा बाबत काउण्टर क्लेम पेश किया हुआ है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा संवत 2058 उक्त आराजी का सेटलमेन्ट कर दिया गया तथा सेटलमेट विभाग ने साबिक ख0न0 54 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा व ख0न0 136 रकबा 12 बिस्वा ख0न0 141 रकबा 19 बिस्वा ख0न0 143 रकबा 15 बिस्वा ख0न0 159 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 5 की कुल 15 बीघा 16 बिस्वा के नये ख0न 217 रकबा 0.01 है0 ख0न0 243 रकबा 0.80 है0 ख0न0 244 रकबा 1.20हे0 ख0न0 740 रकबा 0.17 है0 ख0न0 750 रकबा 0.10 है0 ख0न0 753 रकबा 0.12 है0 ख0न0 755/976 रकबा 0. 15 हैक्टर कायम किये गये। उक्त विभाजन वाद मि0न0 72/99 आज भी जैरकार है। अपीलाण्ट्स की हिस्सा की आराजी व गै0मु0 बारिंग को हडपने की गरज से रेस्पोडेन्टो ने तत्कालीन पटवारी हल्का गवाहो से दुरभीसन्धि करके दिनांक 07.12.2010 को सहमति का कृषि जोत बंटवारा की कूटरचना कर ली। अपीलाण्ट क0 2 का फर्जी अंगूठा निशानी कर लिया व अपीलाण्ट क01 के बजाय रेस्पोडेन्ट क03 प्रेमबाई के पति प्रभूलाल ने स्वंय के हस्ताक्षर प्रभू कर दिये। रेस्पोडेण्ट्स ने उक्त बंटवारा नामा दिनांक 07.12.2010 में स्व0 बद्रीबाई का भी फर्जी अंगूठा लगा लिया, जबकि बद्रीबाई की मृत्यु वर्ष 2007 में ही हो चुकी थी। जैरकार विभाजन वाद में सभी रेस्पोडेन्ट ने अगूठा किया हुआ है जो हस्ताक्षर नहीं करते जबकि बंटवारानामा दिनांक 07.12.2010 में रेस्पोडेन्ट भूलीबाई व प्रेमबाई के दस्तखत किये हुये है। पटवारी हल्का ने उक्त बंटवारा नामा के पेज न02 पर जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि सभी सहखातेदार विभाजन पत्र में वर्णितानुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। उक्त विभाजन से सभी सहमत है। पक्षकारान की पहचान मेरे द्वारा कर ली गई है। जबकि अपीलाण्ट्स कभी भी सहमति विभाजन के लिए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये। इस प्रकार रेस्पोडेन्टस ने उक्त बंटवारा नामा दिनांक 07.12.2010 की कूटरचना कर ली तथा उक्त फर्जी बंटवारा नामा तहसीलदार सांगोद के समक्ष प्रस्तुत कर तहसीलदार सांगोद से विभाजन आदेश दिनांक 18.12.2010 प्राप्त कर लिया व उक्त फर्जी बंटवारे के आधार पर इन्तकाल संख्या 349 दिनांक 18.12.2010 को तहरीर कर दिनांक 31.12. 2010 को तस्दीक करवा लिया गया। उक्त फर्जी विभाजन के आधार पर पटवारी हल्का ने खाते

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

पृथक पृथक कर ख0न0 217 रकबा 0.01 है0 गै0मु0बोरिंग ख0न0 243 रकबा 0.40 है0 ख0न0 244 रकबा 0.60 है0 कुल किता 3 की कुल 1.01 हैक्टर आराजी का खाता रेस्पोडेण्ट्स क0 1,2,3 के नाम पृथक से अंकित कर दिया जबकि उक्त आराजी मय गै0मु0बोरिंग का अपीलाण्ट्स बदस्तूर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। अधिनस्थ न्यायालय को न्यायहित में अपीलाण्ट को अपना पक्ष रखने व सुनवाई करने का समय दिया जाना चाहिए था। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलाण्ट की सहमति के व बिना कब्जे की जांच किये अपीलाण्ट की गैर मौजूदगी में आदेश पारित में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर ,अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 18.12.2010 निरस्त फरमाये जावे।

.5 रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक बहस दौरान उपस्थित होकर उक्त अपील को मेरिट के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया है।

6 हमने अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील आदेश दिनांक 18.12.2010 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 8.12.214 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुए है। विलम्ब से पेश करने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी 17.11.2014 को नकल प्राप्त करने के बाद होना बताया है। विलम्ब से अपील पेश करने के सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

7. वकील अपीलाण्ट का बहस मे कथन रहा है कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलाण्ट को सूचना दिये व सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया। उक्त विभाजन वाद मि0न0 72/99 आज भी उपखण्ड अधिकारी सांगोद मे जैरकार है। अपीलाण्ट्स की हिस्सा की आराजी व गै0मु0 बोरिंग को हडपने की गरज से रेस्पोडेन्टो ने तत्कालीन पटवारी हल्का गवाहो से दुरभीसन्धि करके दिनांक 07.12.2010 को सहमति का कृषि जोत बंटवारा की कूटरचना कर ली। अपीलाण्ट क0 2 का फर्जी अंगूठा निशानी कर लिया व अपीलाण्ट क01 के बजाय रेस्पोडेन्ट क03 प्रेमबाई के पति प्रभूलाल ने स्वंय के हस्ताक्षर प्रभू कर दिये। रेस्पोडेण्ट्स ने उक्त बंटवारा नामा दिनांक 07.12.2010 में स्व0 बद्रीबाई का भी फर्जी अंगूठा लगा लिया, जबकि बद्रीबाई की मृत्यु वर्ष 2007 में ही हो चुकी थी। जैरकार विभाजन वाद में सभी रेस्पोडेन्ट ने अंगूठा किया हुआ है जो हस्ताक्षर नहीं करते जबकि बंटवारानामा दिनांक 07.12.2010 में रेस्पोडेन्ट भूलीबाई व प्रेमबाई के दस्तखत किये हुये है। पटवारी हल्का ने उक्त बंटवारा नामा के पेज न02 पर जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि सभी सहखातेदार विभाजन पत्र में वर्णितानुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है। उक्त विभाजन से सभी सहमत है। पक्षकारान की पहचान मेरे द्वारा कर ली गई है। जबकि अपीलाण्ट्स कभी भी सहमति विभाजन के लिए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये। इस प्रकार रेस्पोडेन्टस ने उक्त बंटवारा नामा दिनांक 07.12.2010 की कूटरचना कर ली तथा उक्त फर्जी बंटवारा नामा तहसीलदार सांगोद के समक्ष प्रस्तुत कर तहसीलदार सांगोद से विभाजन आदेश दिनांक 18.12.2010 प्राप्त कर लिया व उक्त फर्जी बंटवारे के आधार पर इन्तकाल संख्या 349 दिनांक 18.12.2010 को तहरीर कर दिनांक 31.12.2010 को तस्दीक करवा लिया गया।

8 विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलाण्ट ने बहस दौरान यह अवगत कराया है कि उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में विभाजन वाद मि0न0 72/99 आज भी उपखण्ड अधिकारी सांगोद में विचाराधीन है। अतः उक्त विवादित आरजी के सम्बन्ध मे विभाजन वाद उपखण्ड अधिकारी सांगोद मे विचाराधीन होने से इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील में निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

अति. जिला कलक्टर
बारां